(भाग 1)

न्यायालय- सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: **राहुल, आर.जे.एस.**

निर्णय दिनांकः :: 09-07-2026

प्रकरण नियमित दांडिक :: 975/2019

सीआईएस नं. :: 975/2019

सीएनआर नं. :: RJJH180014982019

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. :: 285/2019 पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू

धारा :: 323, 336, 504/34 भारतीय दंड संहिता

परिवादी	कृष्ण कुमार पुत्र हरदेवाराम, निवासी हसा बुहाना, जिला झुन्झुनू।
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	01. सुमेरसिंह पुत्र रूपाराम, 02. मेवा देवी पत्नी सुमेरसिंह, निवासीगण हसांस, पीएस बुहाना, जिला झुन्झुनू।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री कृष्ण सैनी।

(ख)

घटना की दिनांक	22.11.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	29.11.2019
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	19.12.2019
प्रसंज्ञान की दिनांक	19.12.2019
आरोप विरचना की दिनांक	05.03.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	18.11.2021
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	09.07.2026
निर्णय दिनांक	09.07.2026
सजा आदेश यदि हो तो, दिनांक	लागू नहीं।

(ग) अभियुक्त की सूचना

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	सुमेर सिंह	-	-	323, 336, 504/34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
2	मेवा देवी	-	-	323, 336, 504/34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

भाग 2
अभियोजन /अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची
कः अभियोजन गवाह

क्रम सं	नाम	साक्ष्य प्रकृति

1	पी.डब्ल्यू–01 कृष्ण कुमार	परिवादी।
2	पी.डब्ल्यू–02 भरपाई	चश्मदीद गवाह।
3	पी.डब्ल्यू–03 दिनेश कुमार	चश्मदीद गवाह।
4	पी.डब्ल्यू–04 डॉ. महेन्द्र सिंह	चिकित्सकीय गवाह।
5	पी.डब्ल्यू–05 दौलतराम	अनुसंधान अधिकारी।

अभियोजन/अभियुक्त/ न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची

कः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र सं	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट।
2	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर।
3	प्रदर्श पी–3	पुलिस अधीक्षक बुहाना को प्रार्थना–पत्र।
4	प्रदर्श पी–4	घटनास्थल का नक्शामौका।
5	प्रदर्श पी–5	चोट प्रतिवेदन भरपाई।

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी–01	स्वतंत्र कथन।

आर्टिकल्स		
-	-	-

खः अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्र सं	प्रदर्श	विवरण
-	-	-

–– <u>निर्णय</u> –– **दिनांक–09.07.2026**

01– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्यः–

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की कृर्षि भूमि ग्राम हसांस तहसील बुहाना के खसरा न० 143 में स्थित है कृर्षि भूमि के साथ ही विजय सिंह एवं सुमेर सिंह, ने अपने–अपने घर बना रखे हैं। प्रार्थी की कृर्षि भूमि इनके मकानों के पीछे सटती हुई लगती है जिस पर अप्रार्थीगण नाजायज कब्जा कर रहे हैं। जब भी उसकी औरत खेत में काम करने जाती है तो उसके साथ गाली–गलोच करते हैं एवं अश्लील हरकतें कर अभद्र गालियां देते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। दिनांक 22.11.19 को उसकी पत्नी भरपाई व उसका पुत्र रवि कुमार सुबह करीब 8.30 बजे खेत में आके एवं कचरा/झाड़ी साफ करने के लिये खेत में काम कर रहे थे तब रामनिवास, सुमेरसिंह, विजयसिंह एवं उनकी पत्नियां भजना देवी, ओमकला, मेवादेवी आदि अपने

मकानों की छत पर चढ़कर उसकी पत्नी व लड़के के साथ गाली–गलोच करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुये पत्थरबाजी शुरू कर दी जिससे उसकी पत्नी के पीठ एवं पैरों पर गंभीर चोटें आईं.....इत्यादि।

2– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 285/2019 धारा 143, 506, 509, 336 भारतीय दण्ड संहिता में कायम कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 336, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

02– आरोपः–

3– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 336, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए जिसे सुन–समझकर अभियुक्तगण ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

03- साक्ष्यः-

4– साक्ष्य अभियोजन में कुल 05 गवाहान को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 05 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया तथा अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य में कुल 01 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया।

04- अभियुक्त के कथनः-

5– अभियुक्तगण के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बतलाया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

05- बहस :-

6– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता परिवादी ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला देते हुए कथन किया कि अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धाराओं के अपराधों को प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजा से दंडित किया जावे।

7– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम के दौरान अभियोजन पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि पत्रावली पर परीक्षित गवाहान ने अभियुक्तगण के विरुद्ध जो साक्ष्य दी है उससे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07- विचारणीय बिन्दूः-

8– उभय पक्षों के तर्कों का मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया। अब न्यायालय को यह देखना है कि–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.11.2019 को समय 08.30 ए.एम या इसके आसपास आहतगण भरपाई व रवि कुमार के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व आहतगण पर पत्थरबाजी कर मानवजीवन व्यैयक्तिक क्षेम संकटापित कर उन्हें अपमानित किया, ऐसे प्रकोपन से लोकशांति भंग हुई?

यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

09– **उपरोक्त विचारणीय बिन्दू** के संबंध में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन किया जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर कुल 05 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–1 कृष्ण कुमार** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 की बात है। उसका खेत हंसास गांव में ख.नं. 143 है। उसका लड़का रवि कुमार फोज से छुट्टी पर घर आया हुआ था तो उसकी औरत भरपाई व उसका लड़का रवि दोनों खेत में आक व झाड़ी को काट रहे थे। वे सभी जयपुर रहते हैं लेकिन उस दिन खेत के लिए आए हुए थे। उसकी पोती व बच्चे गांव हंसास में रहते हैं। वह अपनी पोती को सुबह साढे आठ बजे स्कूल छोड़ने गया हुआ था। जब वह स्कूल छोड़कर वापिस घर आया तो देखा कि छत पर रामनिवास, आप सुमेर सिंह, विजय सिंह और इनकी पत्नीया भंजना देवी, औमकलां और आप मेवा देवी छत पर चढ़े हुए थे और पत्थर फेंक रहे थे। उसके खेत के पास वे लोग अपनी खुद की घर की छत पर चढ़े हुए थे और गाली–गलोच और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उसकी पत्नी के बांये पैर व कंधे पर चोट आई थी।

10– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः कथन किया है कि खसरा नंबर 143 की खातेदारी उसके नाम से नहीं है, उसका 144 नंबर खसरा है, उसने मुलजिमान को पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा था, जब वह आ रहा था तो वे छत पर चढ़े हुए थे, उसने अपनी पत्नी के अनुसार ही रिपोर्ट लिखवाकर दी थी, उसकी पत्नी के पैर में सूजन थी खून नहीं आ रहा था, पुलिस मौके पर गई थी जब पुलिस मौके पर गई उस समय वह उसके परिवार के पांच–सात आदमी मौके पर मौजूद थे।

11– **गवाह पी.डब्ल्यू–2 भरपाई** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 की सुबह आठ सवा आठ बजे की बात है। वह अपने खेत में थी। उसका लड़का रवि कुमार भी उसके साथ था। लेकिन आप लड़ने लगे तो उसका लड़का घर चला गया। रामनिवास, भजना, आप सुमेर सिंह, आप मेवा, विजय व औमकलां ने अपनी खुद की घर की छत से उनके खेत में पत्थर मारे तो उसके बांये पैर व कंधे पर चोट आई थी और गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हैं।

12– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किए हैं कि छत से कितने पत्थर फेंके उसे ध्यान नहीं है, करीब दस–पंद्रह मिनट तक पत्थर फेंक रहे थे, कितने पत्थर फेंके थे उसने नहीं गिने, उसके दो पत्थर की अच्छी चोट लगी थी जिनसे उसे खून नहीं आया, पर सोजन के साथ काला पड़ गया था, उसका लड़का मौके से घर चला गया था, जब पत्थर मारे तब वह खेत में अकेली थी, उसका लड़का और पति आए तब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, उस दिन पुलिस मौके पर गई या नहीं उसे नहीं पता, फिर कहा पुलिस मौके पर गई थी उन्होंने पुलिस को फेंके हुए पत्थर दिखा दिए थे कितने पत्थर थे उसे ध्यान नहीं।

13– **गवाह पी.डब्ल्यू–3 दिनेश कुमार** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 को सुबह आठ–साढे आठ बजे की बात है। वह अपने घर की दीवार पर बैठा हुआ था। वह और उसकी मां का लड़का रवि कुमार आपस में बातें कर रहे थे। रवि और उसकी मां भरपाई अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय रामनिवास, आप सुमेर सिंह, विजय सिंह, भजना देवी, औमकलां और आप मेवा आप सभी ने मिलकर गाली गलोच किया और पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर आप सुमेर सिंह की छत से फेंके गए थे। पत्थर फेंकने से माता जी के पैर और कंधे पर चोट आई थी। माता जी की चोटों का मेडिकल हुआ था।

14– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया कि पत्थर दो–चार मिनट फेंके थे, सुमेरसिंह ने मकानों का कोई निर्माण कार्य नहीं चला रखा था, वह छुड़ाने नहीं गया था वह दीवार पर ही बैठा था, घटनास्थल पर उसने दो पत्थर देखे थे।

15– **गवाह पी.डब्ल्यू–4 डॉ. महेन्द्र सिंह** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 को वह चिकित्साधिकारी के पद पर सीएचसी बुहाना पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस थाना बुहाना की तहरीर पर मजरूबा श्रीमती भरपाई पत्नी कृष्ण कुमार के शरीर पर चोटो का मेडिकल मुआयना किया था जिसके शरीर पर चोट नं0 एक खून जमें हुये साथ में सोजन सात गुणा पांच सेंटीमीटर बाई साथल पर थी व चोट नं0 दो खून जमें हुये के साथ में सोजन तीन गूणा दो सेंटीमीटर दांए कन्धे पर थी। उक्त दोनों चोटे कुन्द हथियार से कारित थी व साधारण प्रकृति की थी, जो एक से चैबीस घण्टे से पूर्व की थी।

16– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया कि अगर कोई आदमी उंचाई से कठोर धरातल पर गिरेगा तो चोट संख्या 1 व 2 आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, चोटों से खून बाहर नहीं निकला हुआ था।

17– **गवाह पी.डब्ल्यू–5 दौलतराम** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 29.11.2019 को वह पुलिस थाना बुहाना में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उसी दिन रामकुमार आईसी थाना बुहाना ने प्रकरण संख्या 285/19 एफआईआर की तफ्तीश उसके नाम की थी। दौराने तफ्तीश उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका व

हालात मौका मुर्तिब किया, जो प्रदर्श पी–4 है। दौराने तफ्तीश उसने परिवादिया मजरूबा भरपाई, गवाह कृष्ण कुमार, गवाह दिनेश कुमार के धारा 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए तथा मजरूबा भरपाई की इंजरी रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। उसने अपनी सम्पूर्ण तफ्तीश से आपके विरूद्ध जुर्म धारा 323, 336, 504/34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ देवेन्द्र प्रताप के समक्ष प्रस्तुत की।

18– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि प्रदर्श पी–1 के अनुसार कृष्ण कुमार मौके पर नहीं था, एफआईआर के अनुसार परिवादी व अभियुक्तगण की आमने–सामने कोई लड़ाई नहीं हुई, नक्शामौका बनाया उसकी फोटोग्राफी नहीं करवाई गई, प्रदर्श पी–1 की पुलिस कार्यवाही में परिवादिया के चोट होना दर्ज नहीं है, घटनास्थल पर पक्का धरातल नहीं है।

19– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी कृष्ण कुमार जिसमें स्वयं को गवाह पी.डब्लयू–1 के रूप में परीक्षित करवाया है, उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह तथ्य अंकित किया है कि उसने मुलजिमान को पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा है तथा मुलजिमान पर छत पर चढ़ा होना कथित किया है साथ ही यह कथन किया है कि उसने अपनी पत्नी के बताए अनुसार ही रिपोर्ट दी थी। जब पुलिस मौके पर आई उस समय मौके पर वह मौजूद था। प्रकरण की आहत भरपाई ने स्वयं को पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित करवाया है दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह तथ्य अंकित करवाया है कि करीब दस से पंद्रह मिनट तक पत्थर फेंके गए थे, जिनकी उसने गिनती नहीं की तथा उसे केवल दो पत्थरों की चोट लगी थी। पत्थर फेंके जाने के दौरान उसका लड़का मौके पर उपस्थित नहीं था। इस प्रकार उक्त बयानात से यह स्पष्ट है कि प्रकरण का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। न्यायालय द्वारा केवल यह तथ्य देखा जाना है कि क्या स्वयं आहत द्वारा लेखबद्ध बयानों में कोई विरोधाभास प्रकट होता है या नहीं। इस संदर्भ में यदि आहत पी.डब्ल्यू–2 जिरह का अवलोकन करें तो यह जाहिर होता है कि उक्त गवाह ने यह तथ्य दर्ज करवाया है कि पुलिस मौके पर गई थी और उन्होंने पुलिस को फेंके हुए पत्थर दिखा दिए थे, इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने दौराने जिरह यह तथ्य अंकित करवाया है कि उसने घटना देखी है उस समय वह दीवार पर बैठा था पर छुड़ाने नहीं गया था और दो–चार मिनट तक पत्थर फेंके गए थे और उसने घटनास्थल पर केवल दो पत्थर देखे थे। उक्त गवाह द्वारा घटना का देखा जाना न तो परिवादी एवं न ही आहत ने जाहिर किया है। इस प्रकार आहत ने दस से पंद्रह मिनट तक पत्थर फेंके जाने का कथन किया है वहीं दूसरी ओर गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने केवल दो–चार मिनट पत्थर फेंके जाने का कथन किया है तथा साथ ही गवाह पी.डब्ल्यू–3 घटना देखे जाने का भी कथन करता है। आहत ने यह तथ्य दर्ज नहीं कराया है कि कुल लगभग कितने पत्थर फेंके गए थे, किंतु उसे दो पत्थरों से चोट आना कथित किया है, वहीं गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने दो पत्थर देखे जाने का कथन किया है। यह एक सामान्य बात है कि यदि कुल दो व्यक्तियों द्वारा लगातार दस से पंद्रह मिनट अथवा दो से चार मिनट

पत्थर फेंके जाए तो वह दो से स्वाभाविक रूप से अधिक ही होंगे, किंतु हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–3 द्वारा लेखबद्ध कथन कि उसने दो पत्थरों को देखा विश्वासप्रद प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में मुर्तिब नक्शामौका महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नक्शामौका प्रदर्श पी–4 में वर्णित एक्स स्थान पर मुताबिक हालातमौका पत्थर फेंकना बताया गया है, किंतु उक्त नक्शामौका व हालातमौका में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि मौके पर कोई पत्थर पाए गए हों। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण की छत पर जाकर भी अन्वेषण नहीं किया है कि वहां कोई पत्थर मौजूद हो। स्वयं आहत पी.डब्ल्यू–2 ने दौराने जिरह यह कथित किया है कि उन्होंने पुलिस को फेंके हुए पत्थर दिखाए थे, किंतु उक्त पत्थर को देखे जाने का कथन न तो नक्शामौका में है एवं न ही अनुसंधान अधिकारी के बयानों में है। प्रकरण में ऐसे कोई पत्थर जब्त भी नहीं किए गए हैं। घटनास्थल पर कोई छेड़छाड़ की गई हो ऐसा भी कोई तथ्य दर्ज नहीं करवाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष उपर्युक्त विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे जाकर सिद्ध करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

20– फलतः **अभियुक्त 01. सुमेरसिंह पुत्र रूपाराम, 02. मेवा देवी पत्नी सुमेरसिंह**, निवासीगण हसांस, पीएस बुहाना, जिला झुन्झुनू को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 336, 504/34 भारतीय दंड संहिता से संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(राहुल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुन्झुनू

21– निर्णय व आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 15:02:03 IST